

असर्वा लेखा 1, 2 का बकाया धूलचनी में
 के लिए नहीं। मा आज धूलचनी
 की पूर्व में लिए। बार-बार आपका
 लगाई गई। धूलचनी आते के पत्रावली
 उसे असर्वा लेखा 1, 2 के विपक्ष
 एक तरफ़ा कार्रवाई की जाती है। वस्तु
 बाबत दिनांक 12-6-2018 की पत्रावली



(आंध्रप्रदेश सरकार)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, कपासन
 जिला, तेलंगणा राज्य

3.5.18

पत्रावली राधान्व जोड़ अदालत
 न्याय आपके द्वार 2018 केस्य बालाया
 में पत्रावली की लतावली
 पत्रावली के पत्रावली कलक्टर
 किया। कलक्टर सुनी गई। पत्रावली
 का अकलांतर किया। कलक्टर कलक्टर
 का अकलांतर किया। कलक्टर पत्र में
 की गति आकलित का पत्रावली पत्रावली
 बकलवान्त के पूर्व का कलक्टर होता है
 पत्रावली के पत्रावली कलक्टर-पत्र के कलक्टर
 कलक्टर नहीं लिए हैं। अतः कलक्टर
 कलक्टर कलक्टर के पत्र में कलक्टर नहीं
 होता है। अतः कलक्टर पत्र की
 कलक्टर कलक्टर कलक्टर पत्रावली है।
 पत्रावली केवल कलक्टर कलक्टर कलक्टर
 के कलक्टर। अतः कलक्टर कलक्टर

(आंध्रप्रदेश सरकार)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, कपासन
 जिला, तेलंगणा राज्य